"विविधा फीचर्स"

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केन्द्र,
24/121, स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर–302020 फोन : 0141–2392148 फैक्स नं. 0141–2392148
ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com सम्पादक – ममता जैतली

अंक – 34 वर्ष – 2 **प्रकाशन सामग्री** 28 फरवरी से 12 मार्च 2003

थार का रेगिस्तानी क्षेत्र

विकास नीति की प्राथमिकताएं क्या हों ?

• भारत डोगरा •

थार के रेगिस्तानी क्षेत्र, विशेषकर राजस्थान राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र की चर्चा में प्रायः सबसे पहले जल के संकट और सूखे की समस्या की चर्चा होती है। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि यहां के बहुत से लोगों की एक मुख्य चाह यह रही है कि यहीं से कोई नहर उनके यहां पानी ले आए। यह सपना कुछ भागों में सच भी हो गया व वहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत पानी पहुंच गया है। इस नहर की वितरण प्रणाली का लगभग 3500 किमी. का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जहां बीकानेर व जैसलमेर के कुछ शुष्क क्षेत्रों में पानी पहुंच चुका है, वहां बाड़मेर जिले को अभी तक इस परियोजना से व सरदार सरोवर परियोजना से कुछ पानी प्राप्त होने का इंतजार है।

विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां पानी पहुंच चुका है वहां भी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं अपितु कई नई समस्याएं और उत्पन्न हो गई हैं तथा सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि इन्हें भी अकाल प्रभावित क्षेत्र घोषित करना पड़ा है। उरमूल ट्रस्ट, बीकानेर के एक हाल के प्रकाशन के अनुसार, "इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में अब तक लगभग 3 लाख हैक्टेयर कमांड भूमि (सिंचित) का आवंटन, विक्रय, नीलामी सरकार द्वारा की गई है। भूमि आवंटन के कुछ वर्षों पश्चात ही इस नहरी क्षेत्र की स्थितियां पुनः शुष्क क्षेत्र जैसी होनी आरंभ हो गई हैं। नहर को पंजाब राज्य से मिलने वाले पानी के बंटवारे के विवाद से जुड़ी समस्याएं उभर रही हैं। इसके द्वितीय चरण में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भूमि का सिंचित होना केवल अनुमानित परिकल्पना है। यहां के विषय में हाल के समाचार पत्रों को देखें तो 'इंदिरा गांधी नहर में पानी फिर घटने से परेशानी', लाखों हैक्टेयर भूमि की सिंचाई कागजों पर, 'पंजाब से पानी मिलने में अन्याय, खरीफ की बुआई के लिए पानी न होने से किसान बेहाल, जैसे समाचार बार–बार पढ़ने को मिलेंगे।

एक ध्यान देने योग्य बात है कि जहां पानी आया है वहां के पशुपालक कुछ सन्दर्भों में पशुधन का नुकसान होने की शिकायत भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अप्रैल 2002 को रामगढ़ में आयोजित पशुपालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक में सांवल सिंह ने बताया, हमारे पूर्वजों ने सहभागिता व स्वावलंबन के आधार पर रेगिस्तान में दूर–दूर से पत्थर, चूना व पानी ढोकर व रेत में खुदाई करके कुएं, ताण्डे व टीबे तलाई में खोदी। इन्हीं जल स्रोतों के आधार पर पशुपालन से रोजगार मिला। परन्तु नहर के कारण हमारी पुश्तैनी पशुपालन व्यवस्था खत्म हो गई व हमारे चरागाहों को मुरब्बों में आवंटन कर खत्म कर दिया गया। अतः शुष्क इलाकों को नहरी पानी का इन्तजार करते रहने के स्थान पर अपने सीमित जल का बेहतर से बेहतर संरक्षण करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो इलाके नहर के बिल्कुल अंतिम सिरे में हैं, उन्हें विशेष जल उपलब्धि की उम्मीद वैसे भी कम है।

बाड़मेर में अकाल राहत के अन्तर्गत जो जल संरक्षण कार्य हुआ है उसके बारे में कुछेक गांववासियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस लेखक को बताया कि नाड़ी या तालाब को गहरा करने के नाम पर मिट्टी की जो परत पानी को रोकने की क्षमता रखती थी, उसे ही खोदकर हटा दिया गया। स्पष्ट है कि जल संग्रहण व संरक्षण कार्य अधिक समझदारी व स्थानीय लोगों की सलाह में करने की जरूरत है। गरीब परिवारों के लिए छोटे टांके बनाने व तालाबों के जल ग्रहण क्षेत्र को सुधारने–संवारने की अच्छी संभावनाएं हैं।

जहां नहरी पानी पहुंचा है या जहां निजी कुओं में पानी उपलब्ध है, वहां पहली प्राथमिकता चारा उगाने को देनी चाहिए ताकि दूर–दूर से घटिया किस्म का, मिट्टी रेत मिला चारा मंगवाने को बाद में मजबूर न हों। सरकार को आर्थिक सहयोग द्वारा सिंचित भूमि के किसानों को चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गांव समुदायों में भी यह सोच बनाने का प्रयास निरंतर हो कि पानी की कमी की स्थिति में पानी का उपयोग मुख्य रूप से निजी लाभ के लिए न हो अपितु व्यापक सार्वजनिक हित में हो। सरकार बाजरे के लिए उचित मूल्य निर्धारित कर उसे खरीदे, तथा सूखा–अकाल पड़ने पर अकाल राहत कार्यों में बाजरा ही मुख्य मजदूरी के रूप में दिया जाए। खेतों में ट्रेक्टरों के उपयोग को प्रोत्साहित न किया जाए क्योंकि इससे अनेक पौष्टिक भोजन खाद्य व चारा देने वाले पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं।

वनीकरण के क्षेत्र में विलायती बबूल जैसी प्रजातियों को छोड़कर स्थानीय चारे व खाद्य की प्रजातियों जैसे खेजड़ी व बेर को महत्व दिया जाना चाहिए। वृक्षों व वन्य जीवों के प्रति स्थानीय समुदायों के परम्परागत लगाव का लाभ उठाते हुए उन्हें वन व वन्य जीव संरक्षण से इस तरह जोड़ना चाहिए जिससे हरियाली भी बढ़े और आजीविका भी पनपे। गोचर बचाने चाहिए व ओरण की समृद्ध परम्परा को नया जीवन देने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में अनेक दस्तकारियों की समृद्ध परम्परा है जिसे इस तरह बढ़ाना चाहिए कि वास्तविक कारीगर या दस्तकार को अधिक लाभ मिले। खादी के काम को खादी आंदोलन की इसी भावना के अनुरूप फैलाना चाहिए जिससे कताई, बुनाई, सिलाई का सारा कार्य गांवों व कस्बों में हो सके। भेड़ पालकों से ऊन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो

(जारी)

सकती है व इसकी स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग की सुविधा होनी चाहिए। जहां स्थिति उपयुक्त हो वहां देसी कपास उगाई जा सकती है। चमड़े की दस्तकारियों के विकास की भी व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। लकड़ी की नक्काशी व अन्य दस्तकारी भी अच्छी पनप सकती है। कृषि उपज आधारित अनेक कुटीर उद्योग यहां पनप सकते हैं। विशेषकर तरह–तरह के नवनीत व घी के लिए अच्छी संभावनाएं हैं।

पर्यटन को एकाध स्थान पर केन्द्रित न कर उसे अधिक स्थानों पर विकेन्द्रित करना चाहिए व इसे जनसाधारण की आजीविका से जोड़ना चाहिए। दस्तकारों, लोक कलाकारों, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों (जैसे गांववासियों द्वारा संरक्षित ओरण) पर्यटन से बेहतर तरीके से जोड़ना चाहिए।

सबसे गरीब व जरूरतमंद लोगों की सही पहचान करनी चाहिए व विकास कार्यक्रमों में उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के अतिरिक्त घुमंतू पशुपालकों व जुलाहों जैसे रोजगार विशेष कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों, उनकी समस्याओं को ठीक से समझकर उनके लिए विशेष योजना बनानी चाहिए।

सीमा क्षेत्र की विशेष योजना के बजट का उपयोग स्थानीय जरूरतमंद लोगों के हित में होना चाहिए। सैन्य गतिविधियों में स्थानीय गांववासियों की कोई भी क्षति हो तो उन्हें पर्याप्त मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए व शीघ्र मिलना चाहिए। (यह लेख सी.एस.ई. दिल्ली की एक फैलोशिप के सहयोग से लिखा गया।) (विविधा फीचर्स)